न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 142 / 2023

1 बोदुराम पुत्र भगवाना जाति माली निवासी कुआ बोरावाला वार्ड नम्बर 13 उदयपुरवाटी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू राज.।

अपीलांट्स

बनाम

1 जगदीश प्रसाद पुत्र दुर्गाराम
2 बजरंग लाल पुत्र दुर्गाराम
3 कमला पुत्री दुर्गाराम
4 कविता पुत्री दुर्गाराम
5 सुशीला पुत्री दुर्गाराम
6 सजना पुत्री दुर्गाराम
7 रूकमणी देवी पत्नी दुर्गाराम
8 मोहनलाल पुत्र सेडुराम
9 गोपाल पुत्र सेडुराम
10 प्रभु पुत्र सेडुराम
11 भागोती पुत्री सेडुराम
12 जुवारा पुत्र भानाराम
13 धुंकल पुत्र भानाराम
14 नन्दलाल पुत्र भानाराम
15 मदनलाल पुत्र भानाराम
16 सोहनलाल पुत्र भानाराम
17 प्रभाती पुत्री भानाराम
18 शारदा देवी पत्नी शंकरलाल
19 विक्रम उर्फ फतेहसिंह पुत्र शंकरलाल
20 सुभाष पुत्र शंकरलाल
21 सुनील पुत्र शंकरलाल
22 पिंकी पुत्री शंकरलाल
23 सावित्री पुत्री शंकरलाल

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

24 आची पुत्री शंकरलाल
25 सुनिता देवी पत्नी प्रभुदयाल
26 सुमित्रा देवी पत्नी गोपाल
समस्त जाति माली निवासीगण कुआ बोरावाला वार्ड नम्बर 13 उदयपुरवाटी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।
27 भूमिधारक जरिये तहसीलदार तहसील उदयपुरवाटी।

रेस्पोडेन्टस

अपील अ. धारा 223 राजस्थान काश्त. अधि. 1955
विरूद्ध निर्णय व डिक्री अंतिम दिनांक 21.07.2023
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी पीठासीन
अधिकारी श्री रामसिंह राजावत आरएएस बउनवानी
प्रकरण सेडुराम आदि बनाम भानाराम वगै. दावा बाबत
घोषणार्थ विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा मुकदमा नम्बर
240/1994 नया 337/2022

उपस्थिति :
1. श्री सुरेश शर्मा, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री पवन कुमार, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 5/12/25

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

यह अपील विचारण उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 240/1994 नया 337/2022 में पारित निर्णय दिनांक 21.07.2023 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादीगण द्वारा एक वाद घोषणार्थ व विभाजन, स्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर नये 3040, 3041, 3042, 3043, 3056, 3059 वाके ग्राम उदयपुरवाटी का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी डिक्री कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार उदयपुरवाटी ने एकपक्षीय तैयार किया गया है चूंकि तथाकथित विभाजन प्रस्ताव पर रिकार्डेड खातेदार बोदुराम (अपीलान्ट), स्व. दुर्गाराम एव स्व. सेडुराम के वारिसान के हस्ताक्षर नहीं है ना ही मोहनलाल के हस्ताक्षर है। उक्त पक्षकारान को फर्द मौका समय एवं विभाजन प्रस्ताव बनाते समय ना तो सूचना दी गई ना ही सुनवाई का अवसर दिया गया मात्र स्व. भानाराम के वारिसान के प्रभाव में आकर बाला–बाला एकपक्षीय विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है। मौका रिपोर्ट में दुर्गाराम एवं सेडुराम की उपस्थिति होना दर्ज की है जबकि दुर्गाराम का लगभग 3 वर्ष पूर्व तथा सेडुराम का 7 माह पूर्व देहान्त हो चुका है। मौका रिपोर्ट अपने आप में संदेह प्रकट कर रही है कि तहसीलदार उदयपुरवाटी मौके पर नहीं जाकर अपने कार्यालय में बैठकर विभाजन प्रस्ताव तैयार किया है। विचारण न्यायालय के आदेश दिनांक 22.08.2022 की पालना में तहसीलदार उदयपुरवाटी के द्वारा वादग्रस्त भूमियों का विभाजन प्रस्ताव मौके पर जाकर खातेदारान की उपस्थिति में बनाये जाने का आदेश हुआ था किन्तु तहसीलदार उदयपुरवाटी ने स्व. भानाराम के वारिसान के अलावा विभाजन प्रस्ताव पर अन्य किसी भी दीगर पक्षकार के द्वारा हस्ताक्षरित नहीं है। इससे प्रतीत होता है कि तहसीलदार उदयपुरवाटी ने स्व. भानाराम के वारिसान से मिलकर तथाकथित विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है। भूमि खसरा नम्बर 3043, 3041 व 3056 जो स्व. भानाराम के वारिसान का कब्जा होना विभाजन प्रस्ताव में दर्शित किया है जिनका कुल रकबा 1.46 है. बनता है। राजस्व रिकार्ड से भानाराम के हिस्से में 1.36 है. भूमि प्राप्त करने का अधिकारी है। भानाराम व भानाराम के वारिसान ने राजस्व रिकार्ड के अनुसार 0.10 है. भूमि पर ज्यादा कब्जा कर नाजायज

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अतिक्रमण है। 0.10 है. भूमि खसरा नम्बर 3040 में समायोजित होने से उक्त खरा नम्बर का रकबा बढ़कर राजस्व रिकार्ड के अनुसार पूर्ण हो जायेगा। उक्त तथ्य पर विचारण न्यायालय ने कतई गौर नहीं फरमाया है। इसलिये तथाकथित निर्णय कानून अपास्त होने योग्य है। विलम्ब के लिए अलग से धारा 5 मियाद अवधि अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर निर्णय व डिक्री दिनांक 21.07.2023 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी खारिज फरमाये जाने का आदेश फरमाया जायें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में वादीगण द्वारा एक वाद घोषणार्थ व विभाजन, स्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर नये 3040, 3041, 3042, 3043, 3056, 3059 वाके ग्राम उदयपुरवाटी का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी डिक्री कर दिया। विचारण न्यायालय द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में दिनांक 22.08.2022 को विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की गई है। विचारण न्यायालय में तहसीलदार द्वारा दिनांक 01.03.2023 को विभाजन प्रस्ताव नियम 18 से 21 की पालन में तैयार किये जाकर भिजवाये गये है। विचारण न्यायालय ने विधिक प्रक्रिया की पालना कर बाद सुनवाई विचाराधीन अंतिम डिक्री जारी की है। अपीलान्ट विचारण न्यायालय में वादी रहा है। विचारण न्यायालय में कुल 4 वादी व शेष प्रतिवादीगण है। इनमें से किसी भी पक्षकार द्वारा विचाराधीन अंतिम डिक्री को चुनौती नहीं दी गई है। अपीलान्ट की विचारण न्यायालय में जरिये वकील उपस्थिति रही है। इसके उपरांत भी अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है। विलम्ब का दिन प्रतिदिन का संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट मियाद का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलान्ट

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कंडोन किया जाता है।

प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय में वादीगण द्वारा एक वाद घोषणार्थ व विभाजन, स्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर नये 3040, 3041, 3042, 3043, 3056, 3059 वाके ग्राम उदयपुरवाटी का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी प्राथमिक रूप से डिक्री कर दिया। इस निर्णय के विरूद्ध इस न्यायालय में भानाराम द्वारा अपील प्रस्तुत की गई। इस न्यायालय ने निर्णय दिनांक 12.05.2004 से प्राथमिक डिक्री की अपील खारिज कर दी। इस न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध भानाराम के वारिसान की ओर से माननीय मण्डल में अपील प्रस्तुत की गई। माननीय मण्डल ने निर्णय दिनांक 22.04.2022 से अपील खारिज कर प्राथमिक डिक्री को बहाल रखा है। इस पर विचारण न्यायालय द्वारा तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर विचाराधीन अंतिम डिक्री जारी की गई है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार उदयपुरवाटी ने एकपक्षीय तैयार किया गया है चूंकि तथाकथित विभाजन प्रस्ताव पर रिकार्डेड खातेदार बोदुराम (अपीलान्ट), स्व. दुर्गाराम एव स्व. सेडुराम के वारिसान के हस्ताक्षर नहीं है ना ही मोहनलाल के हस्ताक्षर है। उक्त पक्षकारान को फर्द मौका समय एवं विभाजन प्रस्ताव बनाते समय ना तो सूचना दी गई ना ही सुनवाई का अवसर दिया गया मात्र स्व. भानाराम के वारिसान के प्रभाव में आकर बाला–बाला एकपक्षीय विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है। मौका रिपोर्ट में दुर्गाराम एवं सेडुराम की उपस्थिति होना दर्ज की है जबकि दुर्गाराम का लगभग 3 वर्ष पूर्व तथा सेडुराम का 7 माह पूर्व देहान्त हो चुका है।

विचारण न्यायालय के आदेश दिनांक 22.08.2022 की पालना में तहसीलदार उदयपुरवाटी के द्वारा वादग्रस्त भूमियों का विभाजन प्रस्ताव मौके पर जाकर खातेदारान की उपस्थिति में बनाये जाने का आदेश हुआ था किन्तु तहसीलदार उदयपुरवाटी ने स्व. भानाराम के वारिसान के अलावा विभाजन प्रस्ताव पर अन्य किसी भी दीगर पक्षकार के द्वारा हस्ताक्षरित नहीं है।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन ... अधिकारी
...

यहां यह भी विचारणीय है कि विभाजन प्रस्ताव में भूमि खसरा नम्बर 3043, 3041 व 3056 जो स्व. भानाराम के वारिसान के हिस्से में कब्जे के आधार पर विभाजन प्रस्ताव में दर्शित किया है जिनका कुल रकबा 1.46 है. बनता है जबकि राजस्व रिकार्ड से भानाराम के हिस्से में 1.36 है. भूमि प्राप्त करने का अधिकारी है। विचारण न्यायालय ने राजस्व रिकार्ड के अनुसार विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय को अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि मृत पक्षकार के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लेकर उभयपक्ष की उपस्थिति में तहसीलदार से पुनः विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 24.12.2025 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 5/12/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)